

अप्रैल 28, 2023

कार्यकारी आदेश 2023-07

**कार्यकारी आदेश 2023-07**  
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 120)**

**जबकि**, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

**जबकि**, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है, जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 4,131,800, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 36,800 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, चूंकि इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न लोक स्वास्थ्य आपदा का सामना कर रहा है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है, वह अभूतपूर्व रहा है; और,

**जबकि**, महामारी के दौरान कई संस्करण (वेरिएंट) सामने आए हैं, जिनमें प्रत्येक अलग-अलग संचरण क्षमता वाले और गंभीरता वाले शामिल हैं; और,

**जबकि**, इस महामारी में भविष्य में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करना लगातार एक कठिन काम बना हुआ है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए उपयोगी सिद्ध हुई लोक स्वास्थ्य सावधानियों से काम लेना लगातार जारी है; और,

**जबकि**, अब रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) का वर्तमान मार्गदर्शन सिफ़ उन समुदायों में यूनिवर्सल मास्किंग की सिफारिश करता है, जिनमें COVID-19 का स्तर अधिक है; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह देना जारी रखता है कि कुछ सामुदायिक सेटिंग्स, जैसे कि स्कूल और उच्च-जोखिम वाली सामूहिक सेटिंग्स को उन सेटिंग की विशेषताओं के आधार पर और प्रकोप की स्थिति में रोकथाम की अतिरिक्त पड़ावों की आवश्यकता हो सकती है; और,

**जबकि**, राज्य के आदेश के बिना भी, K-12 स्कूल, बाल देखभाल सुविधाएँ, और अन्य सेटिंग्स सामुदायिक COVID-19 स्तर और सेटिंग की अन्य विशेषताओं के आधार पर लोगों द्वारा फेस मास्क पहनने की आवश्यकता का चयन कर सकती हैं; और,

**जबकि**, COVID-19 टीके COVID-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी हैं; लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी टीकाकरण से वंचित है; तथा,

**जबकि**, कुछ नियोक्ताओं ने सामूहिक सौदेबाजी (बर्गानिंग) समझौतों पर सहमति व्यक्त की है, जिसके लिए अन्य कम करने के उपायों के अलावा, व्यक्तियों को कुछ सेटिंग्स में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता होती है; और,

**जबकि**, CDC यह सिफारिश करना जारी रखता है कि जब समुदाय COVID-19 का स्तर अधिक होता है तब जो व्यक्ति प्रतिरक्षित हैं या गंभीर बीमारी के लिए उच्च जोखिम पर हैं, वे सार्वजनिक रूप से घर के अंदर, एक अच्छी तरह से फिट होने वाले मास्क को पहनने पर विचार करें; और,

**जबकि**, CDC यह सिफारिश करना जारी रखता है कि लक्षण वाले लोग, पॉजिटिव टेस्ट वाले लोग, या COVID-19 वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग मास्क पहनें; और,

**जबकि**, व्यक्ति किसी भी समय स्वयं को या अपने इर्द-गिर्द के व्यक्तियों को COVID-19 के प्रसार के विरुद्ध संरक्षित करने के लिए मास्क पहनना चुन सकते हैं; और,

**जबकि**, CDC दिशा निर्देशों ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि जो व्यक्ति COVID-19 टीकाकरण के मामले में अद्यतनित (अप-टू-डेट) नहीं हैं, या जो COVID-19 संक्रमण के 90 दिनों के भीतर हैं, वे COVID-19 से ग्रस्त होने के बाद 10 दिनों के लिए मास्क पहनें; और,

**जबकि**, CDC मार्गदर्शन ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि जो व्यक्ति COVID-19 की जांच में पॉज़िटिव आए हैं वे जांच में पॉज़िटिव आने के बाद कम-से-कम 5 दिनों तक घर पर ही रहते हुए पृथक्वास (आइसोलेशन) में रहें और दिन 10 तक मास्क पहनें; और,

**जबकि**, CDC ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि यदि विद्यार्थियों, अध्यापकों, और स्टाफ में किसी भी संक्रामक रोग, जिसमें COVID-19 शामिल है, के संकेत हों तो वे घर पर ही रहें; और,

**जबकि**, स्कूलों को CDC दिशा निर्देशों की अनुरूपता में यह निर्धारित करने में अपने स्थानीय स्वास्थ्य विभागों का सहयोग जारी रखना चाहिए कि COVID-19 के परीक्षण में पॉज़िटिव आए किन विद्यार्थियों, अध्यापकों, और स्टाफ को स्कूल समुदाय के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए घर पर ही रहना चाहिए; और,

**जबकि**, फेडरल सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज (CMS) की आवश्यकता है कि संघ-प्रमाणित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों को COVID-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीके लगे हों, और दृढ़ता से यह सिफारिश करता है कि संघ-प्रमाणित दीर्घकालीन (लॉन्ग-टर्म) देखभाल और कुशल नर्सिंग सुविधाओं के कर्मचारी COVID-19 टीकाकरण पर अप-टू-डेट रहें; और,

**जबकि**, 36,800 से अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद निधन और दसियों हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के अलावा, COVID-19 ने राष्ट्र और राज्य भर में व्यक्तियों और व्यवसायों को व्यापक आर्थिक नुकसान पहुँचाया है; और,

**जबकि**, COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण देश भर में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी हो गई है, जो इलिनॉय में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण को प्रभावित कर रहा है, जिसमें राज्य संचालित सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में स्टाफ, बिस्तरों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता शामिल है; और,

**जबकि**, राज्य की कई कार्यकारी एजेंसियां COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती हैं; और,

**जबकि**, अप्रैल 28, 2023 को, COVID-19 के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आने वाले समय में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटीयों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, ऊपर वर्णित महामारी आपातकाल और लोक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मैं कार्यकारी आदेश 2020-09, 2020-20, 2020-23, 2021-12, 2021-18, 2021-22, और 2021-31 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के खंडों को एतद्वारा समाविष्ट करता हूं;

**जबकि**, राज्य COVID-19 के कारण पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए लगन से काम करना जारी रखेगा, मैंने घोषणा की है कि राज्य की लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति मई 11, 2023 को समाप्त हो जाएगी, राज्य का यह निर्णय राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त करने के संघीय सरकार के फैसले के अनुरूप ही होगा।

**इसलिए**, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं अप्रैल 28, 2023 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

### **भाग 1: कार्यकारी आदेशों को पुनः जारी करना।**

कार्यकारी आदेश 2020-09, 2020-20, 2020-23, 2021-12, 2021-18, 2021-22, और 2021-31, को निम्नवत एतद्वारा पुनः जारी किया जाता है:

#### **कार्यकारी आदेश 2020-09 (टेलीहेल्थ):**

कार्यकारी आदेश 2020-09 की धारा 9 और 10, जिसे कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा संशोधित किया गया है, को फिर से जारी किया जाता है और **मई 11, 2023** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **मई 11, 2023** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्रवाइयाँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **मई 11, 2023** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2021-12 (चरण 5 दोबारा खोलना):**

कार्यकारी आदेश 2022-21 और कार्यकारी आदेश 2022-12 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-12 को इसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और **मई 11, 2023** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2021-18 (शमन के उपाय):**

कार्यकारी आदेश 2022-10 और कार्यकारी आदेश 2021-19 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-18 को इसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और **मई 11, 2023** तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2021-22 (टीकाकरण और जांच आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2021-23 और कार्यकारी आदेश 2021-27 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-22 के अनुभाग 5, 7, 8 और 9 को **मई 11, 2023** तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

#### **कार्यकारी आदेश 2021-31 (पेशेवर परामर्शदाताओं, नैदानिक पेशेवर परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकताओं को निलंबित करना):**

कार्यकारी आदेश 2021-31 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **मई 11, 2023** तक बढ़ाया जाता है।

**भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लॉज़).** यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

राज्यपाल (गवर्नर)

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 28 अप्रैल 2023 को जारी